न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : तालवा, कैम्प दिनांक 04.06.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 72/2016 दायर तारीख 03.08.2016

1. पैंटागन लैण्ड बेस सी–123 जनपथ लाल कोठी जयपुर जरिए पार्टनर प्रशान्त जैन पुत्र मोहन लाल जैन जाति महाजन निवासी 13 विद्युत अभियन्ता कॉलोनी, हंस मार्ग, मालवीय नगर जयपुर **—— वादी**

बनाम

1. मोहन सिंह
2. पूरणसिंह
   (1–2) पुत्रान शिम्भू सिंह
3. सोनू कंवर
4. नन्द कंवर
5. सुनीता कंवर
6. गुड्डी कंवर
7. छोटी कंवर
   (3–7) पुत्रियान शिम्भूसिंह
8. रेणू कंवर पत्नी धनसिंह
   (1–8) जाति राजपूत निवासी बेरकी तहसील विराटनगर, जयपुर
9. नारायणसिंह नाबालिक पुत्र धनसिंह संरक्षिका दादी ओम कंवर जाति राजपूत निवासी बेरकी तहसील विराटनगर
10. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

12. गोपाल सिंह पुत्र किशनसिंह
13. मोहन कंवर पत्नी किशनसिंह
14. कमल कंवर पुत्री किशनसिंह
15. मगन कंवर पत्नी भैंरूसिंह
16. शिम्भूसिंह पुत्र लाडबाई पत्नी नाथूसिंह
17. केसर सिंह
18. जीवण सिंह
19. हरि सिंह
    (17–19) पुत्रान साधु सिंह
20. अनोप कंवर पत्नी साधुसिंह
    (12–20) जाति राजपूत निवासी बेरकी तहसील विराटनगर, जयपुर

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित : श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता वादी
श्री विषण कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं० 1 से 2
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 22.05.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बेरकी के खाता संख्या 151 के हाल खसरा नम्बर 651/0.13, 652/0.14, 659/0.04, 660/0.43, 661/1003/0.43, 889/0.96, 890/0.15, 891/0.20, 892/0.12, 893/0.04, 894/1.86 हैक्टेयर किता 11 कुल रकबा 4.21 हैक्टेयर की खातेदारी वादी, तरतीबी प्रतिवादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी मे वादी ने हाल खसरा नम्बर 889/0.96, 890/0.15 हैक्टेयर मे 2/15 हिस्सा राजीव अग्रवाल से, हाल खसरा नम्बर 889/0.96, 890/0.15, 891/0.20, 892/0.12, 893/0.04, 894/1.86 हैक्टेयर मे से 1/30 हिस्सा मिनाक्षी अग्रवाल से तथा खसरा नम्बर 889/0.96, 890/0.15, 891/0.20, 892/0.12, 893/0.04, 894/1.86 हैक्टेयर मे से 3/10 हिस्सा राजीव सिंधी से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर अपने नाम से नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया है। इस प्रकार वादी के हिस्से में कुल 1.2580 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 का हिस्सा 1/30, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 का हिस्सा 2/15 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 का हिस्सा 3/10 दर्ज रिकार्ड है। उभय पक्षकारान अपने–अपने हिस्सानुसार अपनी खातेदारी भूमि का बाहमी बंटवारा कर आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है। बाहमी बंटवारा अनुसार वादी के हिस्से में खसरा नम्बर 889/0.96, 890/0.15 हैक्टेयर सम्पूर्ण, तथा खसरा नम्बर 891/0.20 हैक्टेयर का कुछ भाग की भूमि आयी है, जिस पर वादी काबिज काश्त है। आराजी मुतनाजा का उभय पक्षकारान के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। अतः निवेदन है कि ग्राम बेरकी के खाता संख्या 151 के हाल खसरा नम्बर 651/0.13, 652/0.14, 659/0.04, 660/0.43, 661/1003/0.43, 889/0.96, 890/0.15, 891/0.20, 892/0.12, 893/0.04, 894/1.86 हैक्टेयर किता 11 कुल रकबा 4.21 हैक्टेयर का कानूनी बंटवारा किया जाकर उभय पक्षकारान को पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा

सत्यमेव जयते
Web Copy not Official

से पाबन्द किया जावे कि वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें।

2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 151 संवत् 2069–2072 पेश किये।
3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर, प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 8 नाबालिक की तरफ से कोर्ट वली नियुक्त, जवाब दावा पेश निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 8 के विधिक अधिकारों को ध्यान मे रखते हुए मौका बंटवारा रिपोर्ट अनुसार कानूनी बंटवारा किया जाता है तो मिन उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है। पैरोकार सरकार उपस्थित।
4. अधिवक्ता वादी के निवेदन पर प्रकरण दिनांक 23.09.2016 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप उभय पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई।
5. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट तालवा में मजमा–ए–आम पेश हुई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षकारान के निवेदन पर मनन किया गया। वस्तुतः ग्राम बेरकी के खाता संख्या 151 के हाल खसरा नम्बर 651/0.13, 652/0.14, 659/0.04, 660/0.43, 661/1003/0.43, 889/0.96, 890/0.15, 891/0.20, 892/0.12, 893/0.04, 894/1.86 हैक्टेयर किता 11 कुल रकबा 4.21 हैक्टेयर में वादी ने हाल खसरा नम्बर 889/0.96, 890/0.15 हैक्टेयर मे 2/15 हिस्सा, हाल खसरा नम्बर 889/0.96, 890/0.15, 891/0.20, 892/0.12, 893/0.04, 894/1.86 हैक्टेयर मे से 1/30 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 889/0.96, 890/0.15, 891/0.20, 892/0.12, 893/0.04, 894/1.86 हैक्टेयर मे से 3/10 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर अपने नाम से नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया है। इस प्रकार वादी के हिस्से में कुल 1.2580 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 का हिस्सा 1/30, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 का हिस्सा 2/15 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 का हिस्सा 3/10 दर्ज रिकार्ड है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. उभय पक्षकारान ने अपने–अपने हिस्सानुसार आराजी मुतनाता का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा अधिवक्ता वादी के निवेदन पर दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार है। अतः राजस्व लोक अदालत की मंशा अनुसार मुताबिक राजीनामा व बंटवारा प्रस्ताव दावा डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

8. परिणामतः वादी वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1	पैंटागन लैण्ड बेस सी–123 जनपथ लाल कोठी जयपुर जरिए पार्टनर प्रशान्त जैन पुत्र मोहनलाल जैन निवासी 13–विद्युत अभियन्ता कॉलोनी, हंस मार्ग मालवीयनगर, जयपुर	651/1	0.0216
		652/1	0.0233
		659/1	0.0067
		660/1	0.0716
		661/1003/1	0.0234
		889/1/	0.16
		890/1	0.025
		891/1	0.014
		894/1	0.06
2	गोपाल सिंह पुत्र किशनसिंह, मोहन कंवर पत्नी किशनसिंह, कमल कंवर पुत्री किशनसिंह हिस्सा 293/7334, ओम कंवर पत्नी शिम्भूसिंह, मोहनसिंह, पूरणसिंह पिता शिम्भूसिंह, सोनू कंवर, नन्दू कंवर, मंजू कंवर, छोटी कंवर, सुनिता कंवर, गुड्डी कंवर पुत्रियान शिम्भूसिंह हिस्सा 264/7334, रेणू कंवर पत्नी धनसिंह, नारायण सिंह नाबालिक पुत्र धनसिंह संरक्षिका दादी ओमकंवर हिस्सा 29/7334, मगन कंवर पत्नी भैंरूसिंह हिस्सा 293/7334, शिम्भूसिंह पुत्र लाडबाई पत्नी	651	0.1084
		652	0.1167
		659	0.0333
		660	0.3584
		661/1003	0.1166

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

	नाथूसिंह हिस्सा 1173/7334, केशरसिंह, जीवणसिंह, हरिसिंह पुत्रान साधुसिंह, अनोप कंवर पत्नी साधुसिंह हिस्सा 2640/7334, राजीव सिंधी पुत्र लक्ष्मणसिंह हिस्सा 2640/7334		
3	गोपालसिंह पुत्र किशनसिंह, मोहन कंवर पत्नी किशनसिंह, कमल कंवर पुत्री किशनसिंह हिस्सा 370/9250, ओम कंवर पत्नी शिम्भूसिंह, मोहनसिंह, पूरणसिंह पुत्रान शिम्भूसिंह, सोनू कंवर, नन्दू कंवर, मंजू कंवर, छोटी कंवर, सुनिता कंवर, गुड्डी कंवर पुत्रीयान शिम्भूसिंह हिस्सा 333/9250, रेणू कंवर पत्नी धनसिंह, नारायणसिंह नाबालिक पुत्र धनसिंह संरक्षिका दादी ओमकंवर हिस्सा 37/9250, मगन कंवर पत्नी भैंरूसिंह हिस्सा 370/9250, शिम्भूसिंह पुत्र लाडबाई पत्नी नाथूसिंह हिस्सा 1480/9250, केशरसिंह, जीवणसिंह, हरिसिंह पुत्रान साधुसिंह, अनोप कंवर पत्नी साधुसिंह हिस्सा 3330/9250, प्रशान्त जैन पुत्र मोहनलाल जैन हिस्सा 3330/9250	889	0.80
		890	0.1250
4	सवाईसिंह पि.मु. सियान जोजे कालूसिंह हिस्सा 2960/21460, गोपालसिंह पुत्र किशनसिंह, मोहन कंवर पत्नी किशनसिंह, कमल कंवर पुत्री किशनसिंह हिस्सा 740/21460, ओम कंवर पत्नी शिम्भूसिंह, मोहनसिंह, पूरणसिंह पुत्रान शिम्भूसिंह, सोनू कंवर, नन्दू कंवर, मंजू कंवर, छोटी कंवर, सुनीता कंवर, गुड्डी कंवर पुत्रीया शिम्भूसिंह, रेणू कंवर पत्नी धनसिंह, नारायणसिंह नाबालिक पुत्र धनसिंह संरक्षिका दादी ओमकंवर पत्नी शिम्भूसिंह हिस्सा 740/21460, मगनकंवर पत्नी भैंरूसिंह हिस्सा 740/21460, शिम्भूसिंह पुत्र लाडबाई पत्नी नाथूसिंह हिस्सा 2960/21460, केशरसिंह, जीवणसिंह, हरिसिंह पुत्रान साधुसिंह, अनोप कंवर पत्नी साधुसिंह हिस्सा 6660/21460, प्रशान्त जैन पुत्र मोहनलाल जैन हिस्सा 6660/21460	891	0.1860
		892	0.12
		893	0.04
		894	1.80

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक संबंधित पक्षकार को बंटवारे में प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 04.06.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प तालवा में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट बागावास अहीरान

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. पैंटागन लैण्ड बेस सी–123 जनपथ लाल कोठी जयपुर जरिए पार्टनर प्रशान्त जैन पुत्र मोहन लाल जैन जाति महाजन निवासी 13 विद्युत अभियन्ता कॉलोनी, हंस मार्ग, मालवीय नगर जयपुर **—– वादी**

बनाम

1. मोहन सिंह
2. पूरणसिंह
   } पुत्रान शिम्भू सिंह
3. सोनू कंवर
4. नन्द कंवर
5. सुनीता कंवर
6. गुड्डी कंवर
7. छोटी कंवर
   } पुत्रियान शिम्भूसिंह
8. रेणू कंवर पत्नी धनसिंह

   } (क्र. 1 से 8) जाति राजपूत निवासी बेरकी तहसील विराटनगर, जयपुर
9. नारायणसिंह नाबालिक पुत्र धनसिंह संरक्षिका दादी ओम कंवर जाति राजपूत निवासी बेरकी तहसील विराटनगर
10. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—– प्रतिवादीगण

12. गोपाल सिंह पुत्र किशनसिंह
13. मोहन कंवर पत्नी किशनसिंह
14. कमल कंवर पुत्री किशनसिंह
15. मगन कंवर पत्नी भैंरूसिंह
16. शिम्भूसिंह पुत्र लाडबाई पत्नी नाथूसिंह
17. केसर सिंह
18. जीवण सिंह
19. हरि सिंह
   } पुत्रान साधु सिंह
20. अनोप कंवर पत्नी साधुसिंह

   } (क्र. 12 से 20) जाति राजपूत निवासी बेरकी तहसील विराटनगर, जयपुर

—– तरतीबी प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 72/2016 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री अवधेश कुमार शर्मा एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम बेरकी के खाता संख्या 151 के हाल खसरा नम्बर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

651/0.13, 652/0.14, 659/0.04, 660/0.43, 661/1003/0.43, 889/0.96, 890/0.15, 891/0.20, 892/0.12, 893/0.04, 894/1.86 हैक्टेयर किता 11 कुल रकबा 4.21 हैक्टेयर का कानूनी बंटवारा किया जाकर उभय पक्षकारान को पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें। **राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट तालवा में मजमा–ए–आम उपस्थित पक्षकारान को सुना गया।** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1	पैंटागन लैण्ड बेस सी–123 जनपथ लाल कोठी जयपुर जरिए पार्टनर प्रशान्त जैन पुत्र मोहनलाल जैन निवासी 13–विद्युत अभियन्ता कॉलोनी, हंस मार्ग मालवीयनगर, जयपुर	651/1	0.0216
		652/1	0.0233
		659/1	0.0067
		660/1	0.0716
		661/1003/1	0.0234
		889/1/	0.16
		890/1	0.025
		891/1	0.014
		894/1	0.06
2	गोपाल सिंह पुत्र किशनसिंह, मोहन कंवर पत्नी किशनसिंह, कमल कंवर पुत्री किशनसिंह हिस्सा 293/7334, ओम कंवर पत्नी शिम्भूसिंह, मोहनसिंह, पूरणसिंह पिता शिम्भूसिंह, सोनू कंवर, नन्दू कंवर, मंजू कंवर, छोटी कंवर, सुनिता कंवर, गुड्डी कंवर पुत्रियान शिम्भूसिंह हिस्सा 264/7334, रेणू कंवर पत्नी धनसिंह, नारायण सिंह नाबालिक पुत्र धनसिंह संरक्षिका दादी ओमकंवर हिस्सा 29/7334, मगन कंवर पत्नी भैंरूसिंह हिस्सा	651	0.1084
		652	0.1167
		659	0.0333
		660	0.3584
		661/1003	0.1166

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

	293/7334, शिम्भूसिंह पुत्र लाडबाई पत्नी नाथूसिंह हिस्सा 1173/7334, केशरसिंह, जीवणसिंह, हरिसिंह पुत्रान साधुसिंह, अनोप कंवर पत्नी साधुसिंह हिस्सा 2640/7334, राजीव सिंधी पुत्र लक्ष्मणसिंह हिस्सा 2640/7334		
3	गोपालसिंह पुत्र किशनसिंह, मोहन कंवर पत्नी किशनसिंह, कमल कंवर पुत्री किशनसिंह हिस्सा 370/9250, ओम कंवर पत्नी शिम्भूसिंह, मोहनसिंह, पूरणसिंह पुत्रान शिम्भूसिंह, सोनू कंवर, नन्दू कंवर, मंजू कंवर, छोटी कंवर, सुनिता कंवर, गुड्डी कंवर पुत्रीयान शिम्भूसिंह हिस्सा 333/9250, रेणू कंवर पत्नी धनसिंह, नारायणसिंह नाबालिक पुत्र धनसिंह संरक्षिका दादी ओमकंवर हिस्सा 37/9250, मगन कंवर पत्नी भैंरूसिंह हिस्सा 370/9250, शिम्भूसिंह पुत्र लाडबाई पत्नी नाथूसिंह हिस्सा 1480/9250, केशरसिंह, जीवणसिंह, हरिसिंह पुत्रान साधुसिंह, अनोप कंवर पत्नी साधुसिंह हिस्सा 3330/9250, प्रशान्त जैन पुत्र मोहनलाल जैन हिस्सा 3330/9250	889	0.80
		890	0.1250
4	सवाईसिंह पि.मु. सियान जोजे कालूसिंह हिस्सा 2960/21460, गोपालसिंह पुत्र किशनसिंह, मोहन कंवर पत्नी किशनसिंह, कमल कंवर पुत्री किशनसिंह हिस्सा 740/21460, ओम कंवर पत्नी शिम्भूसिंह, मोहनसिंह, पूरणसिंह पुत्रान शिम्भूसिंह, सोनू कंवर, नन्दू कंवर, मंजू कंवर, छोटी कंवर, सुनीता कंवर, गुड्डी कंवर पुत्रीया शिम्भूसिंह, रेणू कंवर पत्नी धनसिंह, नारायणसिंह नाबालिक पुत्र धनसिंह संरक्षिका दादी ओमकंवर पत्नी शिम्भूसिंह हिस्सा 740/21460, मगनकंवर पत्नी भैंरूसिंह हिस्सा 740/21460, शिम्भूसिंह पुत्र लाडबाई पत्नी नाथूसिंह हिस्सा 2960/21460, केशरसिंह, जीवणसिंह, हरिसिंह पुत्रान साधुसिंह, अनोप कंवर पत्नी साधुसिंह हिस्सा 6660/21460, प्रशान्त जैन पुत्र मोहनलाल जैन हिस्सा 6660/21460	891	0.1860
		892	0.12
		893	0.04
		894	1.80

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक संबंधित पक्षकार को बंटवारे में प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 04.06.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प तालवा में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 04.06.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर